



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02012026-269009
CG-DL-E-02012026-269009

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5952]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 31, 2025/पौष 10, 1947

No. 5952]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 31, 2025/PAUSHA 10, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2025

का.आ. 6162(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि गुजरात राज्य के साबरकांठा जिले में NH58 के कि.मी. 0 से कि.मी.56.62 () तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् उप प्रभागीय न्यायाधीश को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

गुजरात राज्य के साबरकांठा जिले में NH58 के कि.मी. 0 से कि.मी. 56.62 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: गुजरात			जिले का नाम: साबरकांठा		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: विजयनगर					
गांव का नाम: केलवा					
1	239	निजी	एग्रीकल्चर	0.0046 (हेक्टेयर)	0.0046
गांव का नाम: अन्नसुम्भा					
2	11	निजी	एग्रीकल्चर	0.0936 (हेक्टेयर)	0.0936
3	247	निजी	एग्रीकल्चर	0.08 (हेक्टेयर)	0.08
4	600	निजी	एग्रीकल्चर	0.0043 (हेक्टेयर)	0.0043
गांव का नाम: अन्द्रोखा					
5	23	निजी	एग्रीकल्चर	0.0112 (हेक्टेयर)	0.0112
6	92	निजी	एग्रीकल्चर	0.0099 (हेक्टेयर)	0.0099
गांव का नाम: कुन्ड्ला					
7	NA8 Paiki	निजी	नॉन एग्रीकल्चर	0.0271 (हेक्टेयर)	0.0271
गांव का नाम: भाभुडी					
8	18	निजी	एग्रीकल्चर	0.0211 (हेक्टेयर)	0.0211
तालुक का नाम: वडालि					
गांव का नाम: जलोद्रा					
9	98/Paiki 1	निजी	नॉन एग्रीकल्चर	0.0365 (हेक्टेयर)	0.0365
10	NA94	निजी	नॉन एग्रीकल्चर	0.0537 (हेक्टेयर)	0.0537
तालुक का नाम: इदर					
गांव का नाम: पनोल					
11	451	निजी	एग्रीकल्चर	0.0048 (हेक्टेयर)	0.0048
12	558	निजी	एग्रीकल्चर	0.1147 (हेक्टेयर)	0.1147
गांव का नाम: चोरीवाघ					
13	90/Paiki 2	निजी	नॉन एग्रीकल्चर	0.0017 (हेक्टेयर)	0.0017
14	NA5/2 Paiki	निजी	नॉन एग्रीकल्चर	0.0399 (हेक्टेयर)	0.0399
Total					0.5031

[फा. सं. GJ/P/V/15/2019/3A]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
NOTIFICATION

New Delhi, the 31st December, 2025

S.O. 6162(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of NH58 in the stretch of land from Km. 0 to Km. 56.62 (TALUKA SEVA SADAN 1ST FLOOR ROOM NO 203 IDAR AMBAJI STATE HIGHWAY KHEDBRAHMA) in the district of Sabarkantha in the state of GUJARAT, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, SUB DIVISIONAL MAGISTRATE in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NH58 in the stretch of land from Km. 0 to Km. 56.62 (TALUKA SEVA SADAN 1ST FLOOR ROOM NO 203 IDAR AMBAJI STATE HIGHWAY KHEDBRAHMA) in the district of Sabarkantha in the state of GUJARAT

State: GUJARAT			District: Sabarkantha		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Vijaynagar					
Village: Kelava					
1	239	Private	Agriculture	0.0046 (Hectare)	0.0046
Village: Antarsumba					
2	11	Private	Agriculture	0.0936 (Hectare)	0.0936
3	247	Private	Agriculture	0.08 (Hectare)	0.08
4	600	Private	Agriculture	0.0043 (Hectare)	0.0043
Village: Androkha					
5	23	Private	Agriculture	0.0112 (Hectare)	0.0112
6	92	Private	Agriculture	0.0099 (Hectare)	0.0099
Village: Kundala					
7	NA8 Paiki	Private	Non Agriculture	0.0271 (Hectare)	0.0271
Village: Bhambhudi					
8	18	Private	Agriculture	0.0211 (Hectare)	0.0211
Taluk: Vadali					
Village: Jalodara					
9	98/Paiki 1	Private	Non Agriculture	0.0365 (Hectare)	0.0365

10	NA94	Private	Non Agriculture	0.0537 (Hectare)	0.0537
Taluk: Idar					
Village: Panol					
11	451	Private	Agriculture	0.0048 (Hectare)	0.0048
12	558	Private	Agriculture	0.1147 (Hectare)	0.1147
Village: Choriwad					
13	90/Paiki 2	Private	Non Agriculture	0.0017 (Hectare)	0.0017
14	NA5/2 Paiki	Private	Non Agriculture	0.0399 (Hectare)	0.0399
Total					0.5031

[F. No. GJ/P/V/15/2019/3A]

SHAIKH AMINKHAN, Director